न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

अध्यक्षता – *ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस*

राजस्व प्रथम अपील संख्या 347/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
जमाल खान पुत्र श्री अलाबक्ष खान, उम्र 80 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी बासडा धनजी, तहसील जसवन्तपुरा, जिला जालोर।		1. राजस्थान सरकार राज्य जरिये तहसीलदार, जसवन्तपुरा, जिला जालोर। 2. ग्राम पंचायत बासडा धनजी द्वारा सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बासडा धनजी तहसील जसवन्तपुरा।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 23.6.2017 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/2017 अनवान ग्राम पंचायत बासडाधनजी बनाम राजस्थान सरकार जरिये भू अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार जसवन्तपुरा द्वारा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पर पारित किया गया ।

उपस्थिति :–

1. श्री लदुराम पुनिया अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओम प्रकाश राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांकः– 9.10.218

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ग्राम पंचायत बासडा धनजी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 14.5.2016 के प्रस्ताव मे तालाब से लगती भू खसरा संख्या 981 रकबा .035 हैक्टर त्रुटि से गै.मु. कब्रिस्तान दर्ज हो

गयी है, जिसको दुरूस्त करवाया जावे।। उक्त प्रस्ताव पर उप तहसीलदार, रामसीन की जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 981 रकबा 0.35 हैक्टर कब्रिस्तान से श्मशान मे दुरूस्तीकरण किया जाना उचित माना गया । इसलिए रेकर्ड दुरूस्ती की जावे।

यह है कि तहसीलदार ने उक्त कार्यवाही अन्तर्गत धारा 136 मे दर्ज की तथा उपतहसीलदार रामसीन की एक पक्षीय मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 28.6.2016 तथा मिसल बन्दोबस्त संवत 2010 से 2029 तथा जमाबंदी संवत 2024 से 2027 व जमाबंदी सवंत 2029 से 2031 को पत्रावली पर लिया, परन्तु नये भूमाप की खतोनी बंदोबस्त आदि के कोई कागजात शामिल नही किये तथा सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये बीना ही तहसीलदार जसवंतपुरा ने अपने आदेश दिनांक 23.6.2017 के द्वारा खसरा संख्या 981 रकबा 0.35 हैक्टर भूमि को गैरमुमकिन कब्रिस्तान से गैरमुमकिन शमशान दर्ज करने के आदेश दे दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

हमने उपस्थित अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट–1 के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक और तथ्यात्मक त्रुटि की गई है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है। तहसीलदार धारा 136 की कार्यवाही नही कर सकता है। इसलिए तहसीलदार जसवंपुरा द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर का होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

यह है कि गैरमुमकिन कब्रिस्तान से गैरमुमकिन श्मशान दर्ज करने के आदेश से पूर्व सावर्जनिक नोटिस जारी कर, आपत्तियां प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना आवश्यक था, जो कि तहसीलदार नही दिया गया, जो प्रकृति न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

यह है कि खतोनी बंदोबस्त संवत 2028 से 2031 मे गै.मु. कब्रिस्तान दर्ज है तथा नये भूमाप मे भी गैरमुमकिन कब्रिस्तान खतोनी बंदोबस्त मे दर्ज किया गया है। इस प्रकार कब्रिस्तान किसी गलती से दर्ज नही हुआ है, मौके पर कब्रे होने से ही नये सेटलमेंट मे

कब्रिस्तान दर्ज किया गया है। खतोनी बन्दोबस्त संवत 2010 मे गै.मु. मसाण दर्ज है। मसाण मृतक व्यक्ति को कब्र मे दफनाने की क्रिया को कहते है, जिसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मसाण व कब्रिस्तान मे मे कोई अन्तर नही है। इसलिए मामला रेकर्ड दुरूस्ती का नही बनता है। विवादित भूमि जागीर काल से मुसलमान समाज के कब्रिस्तान की है तथा इसका कब्रिस्तान के रूप मे उपयोग लिया जा रहा है, जिसका अन्य उपयोग मे नही लिया जा सकता है। तहसीलदार ने नये सेटलमेंट के दस्तावेजों को पत्रावली पर लिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया है कि ग्राम पंचायत बासडा धनजी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 14.5.2016 के प्रस्ताव मे तालाब से लगती भूमि खसरा संख्या 981 रकबा .035 हैक्टर त्रुटि से गै.मु. कब्रिस्तान दर्ज हो गयी है, जिसको दुरूस्त करवाया जावे। धारा 136 की शक्तियां माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा तहसीलदारों को देने से उक्त प्रकरण धारा 136 मे दर्ज किया गया। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 14.5.2016 के प्रस्ताव पर तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा उप तहसीलदार, रामसीन की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसमे उल्लेखित किया कि खसरा संख्या 981 रकबा .035 हैक्टर भूमि उपतहसीलदार ने अपनी जांच मिसल बन्दोबस्त संवत 2010 से 2029 तथा जमाबंदी संवत 2024 से 2027 मे गै.मु. मसान(श्मशान) दर्ज है तथा जमाबंदी सवंत 2029 से 2031 गैर मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज होना बताया तथा यह भी उल्लेखित किया कि जमाबंदी सवंत 2029 से 2031 का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी मे बिना किसी नोट एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किस्म परिर्वतन की गई हा, जो लिपिकीय भूल का मामला प्रतीत होता, जिसे दुरूस्त किया जाना उचित माना है। उक्त रिपोर्ट एवं पूर्व रेकर्ड के आधार पर तहसीलदार जसवंतपुरा आदेश दिनांक 23.6.2017 के द्वारा खसरा संख्या 981 रकबा 0.35 हैक्टर भूमि को गैरमुमकिन कब्रिस्तान से गैरमुमकिन श्मशान दर्ज करने जो आदेश दे दिया वह रकर्ड के अनुसार सही है एवं विधि सम्मत पारित किया गया है, जिसे यथावत रखा जावे।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा अधीनस्थ पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे पाया गया कि उपतहसीलदार रामसीन जांच रिपोर्ट दिनाक 28.6.2016 मे अंकित किया है कि खसरा संख्या 981 रकबा .035 हैक्टर भूमि मिसल बन्दोबस्त संवत 2010 से 2029 तथा जमाबंदी संवत 2024 से 2027 मे गै.मु. मासान(श्मशान) दर्ज है तथा जमाबंदी सवंत 2029 से 2031 गैर मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज होना बताया तथा यह भी उल्लेखित किया कि जमाबंदी सवंत 2029 से 2031 का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी मे बिना किसी नोट एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के गै.मु. मासान(श्मशान) से कब्रिस्तान मे किस्म परिर्वतन की गई है, जो लिपिकीय भूल का मामला प्रतीत होता, जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। तहसीलदार, जसवंतपुरा ने उक्त रिपोर्ट एवं पूर्व रेकर्ड के आधार पर जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.6.2017 पारित किया है वह उचित प्रतीत होता है, जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

: अत उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत प्रथम अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती हैं तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.6.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 9.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर